कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9668/2020 गोपाल कृष्ण साद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती परीक्षा 2013 में याचिकार्थी द्वारा टीएसपी परिक्षेत्र हेतु आवेदन करने के उपरान्त आयोग के परीक्षा परिणाम दिनांक 06.10.2015 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर टीएसपी परिक्षेत्र हेतु वरीयता क्रमांक 2322 पर चयनित एवं अभिस्तावित याचिकार्थी को विभाग द्वारा जिला आवंटन प्रक्रिया में बाड़मेर जिला आवंटित कर बाड़मेर जिले के राउमावि भैरूडी, ब्लॉक–सेडवा में पदस्थापित किया गया जबकि उससे निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को गृह जिला डूंगरपुर आवंटित कर इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया गया। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बाड़मेर जिले से टीएसपी परिक्षेत्र के गृह जिले डूंगरपुर में स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III पद हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला आवंटन बाबत् प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2016 के अनुसार जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर उस जिलें को आवंटित किए जाएंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है अतः जिले के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियॉं यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावेगा, के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2017 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 24.08.2017 को जारी संशोधित परिणाम में याचिकार्थी का नॉन–टीएसपी परिक्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर मुख्य सूची में वरीयता क्रमांक 2322–सी, वर्ग एवं चयन वर्ग SCM पर चयन किया गया। विभागीय नियमानुसार विज्ञापित पदों में से तत्समय उपलब्ध रिक्तियों में से याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर बाड़मेर जिला आवंटित कर बाड़मेर जिले के राउमावि भैरूडी, ब्लॉक–सेडवा में पदस्थापित किया गया।

याचिकार्थी द्वारा स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को डूंगरपुर जिला आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का चयन टीएसपी परिक्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है जबकि याचिकार्थी का चयन नॉन–टीएसपी परिक्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती 2013 में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III पद हेतु आयोग से याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा याचिकार्थी से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग SCM में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा बाड़मेर जिले के स्थान पर डूंगरपुर जिले में पदस्थापन करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13055/2020 दिनांकः– 09.04.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बाड़मेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी श्री गोपाल कृष्ण साद पुत्र श्री देवी लाल, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राउमावि भैरूड़ी, ब्लॉक–सेडवा, जिला–बाड़मेर **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)